संख्या-43/2022/785/12-2-2022-67/2004

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 02 जून, 2022

विषय- **खरीफ अभियान, 2022 की फसल उत्पादन की रणनीति के संबंध में।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश में खरीफ एक महत्वपूर्ण फसल सीजन है। खरीफ-2021 में खाद्यान्न तथा तिलहनी फसलों के अन्तर्गत 90.11 लाख हे0 का क्षेत्र आच्छादित हुआ एवं 201.12 लाख मी0टन का उत्पादन हुआ। आगामी खरीफ-2022 में कुल 6.43 लाख हे0 के क्षेत्र आच्छादन तथा 35 लाख मी0टन उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। उपरोक्त वृद्धि मुख्य फसलवार निम्नवत् लक्षित है:-

क्र0 सं0	फसल	क्षेत्रफल में वृद्धि (लाख हे0 में)	उत्पादन में वृद्धि (लाख मी0टन में)
1	धान	-	17.04
2	बाजरा	0.76	5.5
3	मक्का	01	6.93
4	दलहन	3	4.08
5	मोटा अनाज	0.07	0.11
6	तिलहन	1.60	1.81
	कुल	**6.43**	**35.47**

2. राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर वर्ष-2021-22 एवं 2022-23 में फसलों के उत्पादन के सम्बन्ध में स्थिति व अनुमान निम्नवत् हैः-

	राष्ट्रीय स्तर पर			प्रदेश स्तर पर		
फसल	क्षेत्र (मि.हे0)	उत्पादन (2021-22) (मि.टन)	उत्पादन लक्ष्य (2022-23) (मि.टन)	क्षेत्र (लाख हे0)	उत्पादन (2021-22) (लाख टन)	उत्पादन-लक्ष्य (2022-23) (लाख टन)
धान	46.78	127.93	130.50	59.69	159.67	177.0
गेहूँ	30.95	111.32	112.00	98.51	374.78	393.76
ज्वार	3.86	4.31	6.00	1.71	2.70	3.40
बाजरा	7.05	9.22	11.30	9.04	19.05	24.06
मक्का	9.86	32.42	33.20	6.90	14.66	21.60
मोटा अनाज	22.98	49.86	35.45	0.07	0.05	0.15
दलहन	30.37	26.95	29.55	27.34 (ख-8.45)	20.68 (ख-6.23)	ख-10.31

http://sinsanadesh.up.gov.in

फसल	क्षेत्र (मि. हे0)	उत्पादन (2021-22) (मि.टन)	उत्पादन लक्ष्य (2022-23) (मि.टन)	क्षेत्र (लाख हे0)	उत्पादन (2021-22) (लाख टन)	उत्पादन-लक्ष्य (2022-23) (लाख टन)
कुल खाद्यान	73.67	316.06	328	268.59	601.37	661.13
तिलहन	28.76	37.15	41.34	15.68 (ख - 4.2)	12.04 (ख-1.83)	ख-3.64

3. राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर वर्ष-2021 में उर्वरकों का कुल विक्रय एवं खरीफ-2022 में अनुमानित आवश्यकता निम्नवत् है:-

उर्वरक	खरीफ-21 में राष्ट्रीय स्तर पर विक्रय (मि0टन)	खरीफ-22 मे राष्ट्रीय स्तर पर विक्रय का अनुमान (मि0टन)	खरीफ-21 में प्रदेश स्तर पर विक्रय (लाख0 टन)	खरीफ-22 में प्रदेश स्तर पर विक्रय का अनुमान (लाख0 टन)	वृद्धि का प्रतिशत
यूरिया	154.02	179.01	34.24	38.50	12.44
डी0ए0पी0	41.90	58.82	5.39	8.50	57.69
एम0ओ0पी0	11.23	19.82	0.68	2.00	194.11
एन0पी0के0	62.03	63.72	2.01	3.00	49.25
एस0एस0पी0	25.62	33.19	2.75	3.00	9.09
			45.07	55.00	22.03 %

4. दलहनी फसलों के राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन व आयात की वर्तमान स्थिति व प्रोजेक्शन निम्नवत् है:-

दलहनी फसलें

(मिलियन टन)

वर्ष	**2020-21**	**2021-22**	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31**
मांग	28.18	29.26	31.83	32.64	35.23
उत्पादन	25.72	26.96	29.79	30.75	33.95
आयात की आवश्यकता	2.46	2.30	2.04	1.89	1.28
आयात पर निर्भरता	9 %	8 %	6 %	5.7 %	3.6 %

5. दलहनी फसलों का राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2015-16 से लेकर वर्ष-2021-22 तक क्षेत्राच्छादन उत्पादन व उत्पादकता की स्थिति निम्नवत् रही है:-

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
क्षेत्र अच्छादन(मि0 हे0)	24.91	29.45	29.81	29.16	27.99	28.78	30.37
उत्पादन (मि0टन)	16.32	23.13	25.42	22.08	23.03	25.46	26.96
उत्पादकता (कि0ग्रा0/हे0)	656	786	853	757	823	885	888

विगत वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर दलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है और आयात पर निर्भरता कम हुई है।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. दलहनी फसलों का प्रदेश स्तर पर वर्ष 2015-16 से लेकर वर्ष-2021-22 तक क्षेत्राच्छादन व उत्पादन की स्थिति निम्नवत् रही है:-

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
क्षेत्र अच्छादन(लाख हे0)	25.09	22.62	22.91	23.70	23.80
उत्पादन (लाख टन)	23.94	22.01	24.08	24.47	25.34
उत्पादकता (कि0ग्रा0/हे0)	954	973	1051	1032	1064

7. राष्ट्रीय स्तर पर तिलहनी फसलों के उत्पादन, निर्यात व प्रति व्यक्ति उपयोग की स्थिति निम्नवत् है:-

वर्ष	खपत के लिए उपलब्ध तेल(मि0टन)	घरेलू उत्पादन (मि0टन)	आयात (मि0टन)	आयात की कीमत (रू0 करोड़ में)	आयात पर निर्भता (%)	खपत प्रति व्यक्ति (कि0ग्रा0/वर्ष)
1986-87	5.34	3.87	1.47	700	28.0	6.2
1994-95	7.54	7.19	0.35	300	5.0	7.3
2014-15	21.36	8.63	12.73	64894	59.6	18.3
2019-20	25.06	10.60	14.46	68576	57.7	18.7
2020-21	25.82	12.47	13.35	79190	54.9	18.2

8. राष्ट्रीय स्तर पर तिलहनी फसलों की एरिया, उत्पादन और पैदावार की स्थिति निम्नवत् है:-

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
क्षेत्राच्छादन (मि0 हे0)	26.09	26.18	24.51	24.79	27.14	28.83	28.76
उत्पादन (मि0 टन)	25.25	31.28	31.46	31.52	33.22	35.95	37.15
उत्पादकता (कि0ग्रा0/हे0)	968	1195	1284	1271	1224	1247	1292

9. तिलहनी फसलों के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर जो गैप है, वह निम्नवत् है:-

फसल	वर्तमान उत्पादन में अन्तर	वर्ष 2025-26 में उत्पादन का अन्तर कम करने का लक्ष्य
सोयाबीन	50	20
तोरिया तेल	27	15
मूंगफली	40	15
सीसम	22	10
सनफ्लावर	160	20
सैफ्लावर	81	45
नीगर	40	15
औसत	60	20

10. प्रदेश स्तर पर तिलहनी फसलों की एरिया, उत्पादन और पैदावार की स्थिति निम्नवत् है:-

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
क्षेत्राच्छादन (लाख हे0)	11.00	10.87	12.33	12.06	11.97
उत्पादन (लाख टन)	12.40	13.62	15.55	13.05	17.95
उत्पादकता (कि0ग्रा0/हे0)	935	1054	1080	891	1065

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रदेश स्तर पर खरीफ दलहनी एवं तिलहनी फसलों की एरिया, उत्पादन की स्थिति निम्नवत् है:-

क्षेत्राच्छादन लाख हे0

क्राप	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
दलहन	8.92	8.23	8.53	8.43	8.42
तिलहन	3.80	4.51	4.72	4.66	4.20

उत्पादन लाख मी0टन

क्राप	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
दलहन	6.33	5.83	5.06	6.52	6.17
तिलहन	1.88	2.00	1.71	2.54	1.89

11. उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत खरीफ-2022 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई स्ट्रेटजी के मुख्य पहलू निम्नवत् है:-

- कृषि निवेशों की समय पर व्यवस्था।
- फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्लस्टर अप्रोच।
- फसल प्रणाली केंद्रित हस्तक्षेप-दलहन, तिलहन एवं न्यूट्रीशियन को केन्द्र में रखते हुए।
- फसल सघनता में बढ़ोत्तरी।
- बीज प्रतिस्थापन दर एवं किश्म प्रतिस्थापन दर बढ़ाना।
- सिंचाई जल एवं पोषक तत्वों के उपयोग की क्षमता को बढ़ाना।
- उन्नत प्रोद्योगिकियों का बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण।

12. विगत 05 वर्षों में प्रदेश में खरीफ में खाद्यान्न व तिलहन फसलों के क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन के लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि निम्नवत् रही:-

क्षेत्रफल- लाख हे0 में

उत्पादन लाख मै0 टन में

		खाद्यान्न				तिलहन			
क्र.सं.	वर्ष	क्षेत्राच्छादन का लक्ष्य	प्राप्ति	उत्पादन का लक्ष्य	प्राप्ति	क्षेत्राच्छादन का लक्ष्य	प्राप्ति	उत्पादन का लक्ष्य	प्राप्ति
1.	2017	87.68	82.76	192.97	192.15	3.90	3.80	1.66	1.82
2.	2018	89.79	81.71	201.75	196.03	4.47	4.51	2.18	1.94
3.	2019	90.61	82.25	211.75	209.88	5.28	4.72	2.66	1.65
4.	2020	90.63	82.90	232.24	214.75	5.29	4.66	2.91	2.48
5.	2021	90.52	82.95	235.67	199.29	5.51	4.20	3.16	1.83

13. उत्तर प्रदेश में विगत 05 वर्षो में खरीफ में खाद्यान्न व तिलहनी फसलों का उत्पादन निम्नवत रहा है:-

(लाख मी.टन में)

क्र.सं.		वर्ष				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	खाद्यान्न उत्पादन	192.15	196.03	209.88	214.75	199.29

http://shasanadesh.up.gov.in

2.	तिलहन उत्पादन	1.82	1.94	1.65	2.48	1.83
योग		193.97	197.97	211.53	217.23	201.12

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि तिलहनी फसलों के उत्पादन में पिछले 5 वर्षो में आशा के अनुरूप बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

14. प्रदेश में खरीफ के महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए राष्ट्रीय औसत व ऐसे प्रदेश जिनमें इन फसलों की उत्पादकता सबसे अधिक है उनसे तुलना आवश्यक है। उक्त क्रम में स्थिति निम्नवत है:-

(उत्पादकता कुन्तल प्रति हे0)

क्र.स.	फसल	प्रदेश में उत्पादकता	राष्ट्रीय औसत उत्पादकता	अधिकत उत्पादकता
1	धान	26.75	27.05	40.35 (पंजाब)
2	बाजरा	21.56	13.68	22.19 (मध्य प्रदेश)
3	मक्का	21.23	29.43	70.36 (तमिलनाडु)
4	उर्द	4.98		
5	तिल	2.26		
6	मूंगफली	11.39	20.65	28.40 (तमिलनाडु)

15. खरीफ के महत्वपूर्ण फसलों के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन व उत्पादकता में विभिन्न जनपदों में व्यापक असमानता है। फसलवार यह स्थिति वर्ष 2021-22 की निम्नवत है:-

फसल	जनपद जहॉ अधिक उत्पादकता है	उत्पादकता कु/हे.	क्षेत्राच्छादन लाख हे.	जनपद जहॉ न्यूनतम उत्पादकता है	उत्पादकता कु/हे.	क्षेत्राच्छादन लाख हे.
धान	चंदौली	33.66	1.14	श्रावस्ती	19.47	0.75
मक्का	एटा	40.29	0.24	श्रावस्ती	7.36	0.13
उर्द	जालौन	15.55	0.08	ललितपुर	2.21	1.60
तिल	कन्नौज	4.12	0.01	कानपुर नगर	0.37	0.02
मूंगफली	मैनपुरी	25.74	0.01	देवरिया	5.70	0.14

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत अधिकतम उत्पादकता वाले जनपदों के प्रगतिशील कृषकों के यहॉ अन्य जनपदों के कृषकों व वैज्ञानिकों/अधिकारियों को फील्ड विजिट पर/प्रशिक्षण पर भेजा जाना चाहिए।

16. कृषकों की आय बढ़ाने के सरकारी की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत उत्पादकता एवं उत्पादन को बढ़ाने तथा उत्पादन लागत को कम करना आवश्यक है। खरीफ- 2022 में मानसून के सामान्य रहने की सम्भावना है, जिसके दृष्टिगत खरीफ फसलों की रोपाई व बुआई समय से किया जाना आवश्यक है। खरीफ, 2022 के लिए निर्धारित कुल खाद्यान्न उत्पादन के 236.53 लाख मी.टन एवं तिलहन उत्पादन के 3.64 लाख मी.टन (कुल उत्पादन 240.16 लाख मी.टन) के लक्ष्य का फसलवार विवरण निम्नवत है:-

क्षेत्रफल- लाख हे. में

उत्पादन लाख मी.टन में

क्रम सं.	**खाद्यान्न**	**आच्छान का लक्ष्य**	**उत्पादन का लक्ष्य**
1	धान (चावल)	59.00	177.00

http://sugansandesh.up.gov.in

2	मक्का	7.80	21.61
3	बाजरा	9.80	24.06
4	ज्वार	2.15	3.40
5	मोटा अनाज	0.15	0.15
6	उर्द	7.25	5.02
7	मूंग	0.40	0.25
8	अरहर	3.60	5.04
	खाद्यान्न	**86.61**	**236.53**
9	तिल	4.13	1.38
10	मूंगफली	1.25	1.47
11	सोयाबीन	0.50	0.78
	तिलहन	**5.88**	**3.63**
	कुल	92.49	240.16

17. खरीफ, 2022 के लिए निर्धारित उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रणनीति होगी:-

वर्तमान समय में कृषकों एवं उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि उपाहार क्षेत्रों व बलुई दोमट भूमि में धान के स्थान पर कम पानी वाली फसलें/अधिक पोषण देने वाली फसलें जैसे-सांवा, कोदो, काकुन, ज्वार आदि को बढ़ावा दिया जाय। इससे कृषि लागत में कमी आयेगी एवं कृषकों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि अधिक उत्पादन वाली उन्नतशील नई प्रजातियों को विशेष बढ़ावा दिया जाय। इसके लिए आवश्यक हो गया है कि बीज प्रतिस्थापन दर (एस.आर.आर.) के साथ-साथ प्रजाति प्रतिस्थापन दर (वी.आर.आर.) को भी प्राथमिकता दी जाय, जिससे नई प्रजातियों से प्रदेश निरन्तर आच्छादित होता रहे। संकर प्रजाति के बीजों विशेषकर धान, मक्का, बाजरा आदि के प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया जाना है, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। बाढ़ प्रभावित/जलमग्न क्षेत्रों में धान की स्वर्णा सब-1, सांभा सब-1, उन्नत सांभा महसूरी, बीना-11 आदि प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाय। नवीनतम कृषि तकनीक का उपयोग करते हुए बिलम्ब से धान की रोपाई वाले क्षेत्रों में 15 दिन अग्रिम रोपाई की रणनीति तैयार कर क्रियान्वित किया जाय। ड्रम सीडर/सीड ड्रिल से धान की सीधी बुआई को प्रोत्साहित किया जाय। संतुलित उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु नत्रजनिक, फास्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को भी मृदा परीक्षण के आधार पर प्रयोग किया जाय तथा जैव उर्वरकों यथा-राइजोबियम कल्चर, एजेटोवैक्टर, पी.एस.बी. व पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टेरिया के कल्चर का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाय। भारत सरकार को आयातित एवं स्वयं उत्पादित उर्वरकों पर उनके मूल्य से 4-5 गुना अधिक अनुदान देना पड़ रहा है। इसलिए संतुलित उर्वरकों के प्रयोग पर बल दिया जाय। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के साथ-साथ हरी खाद, कम्पोस्ट, वर्मी/नाडेप कम्पास्ट व सिटी कम्पोस्ट का भी प्रयोग कराया जाय। उन क्षेत्रों में जहॉ सुनिश्चित सिंचाई के साधन उपलब्ध है वहॉ फसलों की विभिन्न अवस्थाओं हेतु संस्तुत जल की मात्रा के अनुरूप सिंचाई करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु प्रचार-प्रसार किया जाय। फसल सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बीज बीज शोधन व रोगों/कीटों के नियंत्रण हेतु बायोपेस्टीसाइड्स/ बायोएजेण्ट्स पर राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान का लाभ उठाने हेतु कृषकों को प्रेरित किया जाय। किसानों के शत प्रतिशत बीजों को उपचार करने के बाद ही बुवाई के लिए उत्प्रेरित किया जाय, ताकि बीज जनित रोगों से छुटकारा मिले एवं किसान अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें।

http://dbtagriculture.upgov.in

18. सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराकर फसली ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। फसल बीमा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु स्थापित कॉल सेन्टर-1800-889-6868 का व्यापक प्रचार-प्रसार कृषकों के मध्य करते हुए उन्हे योजना में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। दलहन एवं तिलहन (बुलन्देलखण्ड में तिल) की खेती पर विशेष जोर दिया जाय। नवीनतम कृषि तकनीकी के प्रदर्शनों का आयोजन कराया जाय। बीज शोधन, मृदा नमूना के आधार पर संतुलित उर्वरक प्रयोग, आई.पी.एम., आई.पी.एन.एम., सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आदि के कौशल प्रदर्शन कराये जाय। खेती के साथ-साथ पशुधन का विशेष महत्व होता है, जहॉ एक ओर पशुधन से दूध तथा अन्य उपयोगी खाद्य पदार्थ प्राप्त होते है वहीं पर पशुपालन से भारी मात्रा में गोबर जीवांश खाद के रूप में प्राप्त होता है, जो मृदा स्वास्थ्य का मूल आधार है। अत: पशुओं के लिए हरा चारा उत्पादन पर विशेष बल दिया जाय। कृषि वानिकी एवं औद्यानिक फसलों के रोपण का कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्पादित किये जाने हेतु नर्सरी एवं पौधों की व्यवस्था की जाय। खरीफ में शाक-भाजी उत्पादन का विशेष महत्व है इसे भी बढ़ावा दिया जाय। किसान काल सेन्टर टोल फ्री नं0-1800-180-1551 पर कृषि सम्बन्धी जानकारी की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है, जिसका उपयोग अधिक से अधिक कृषकों को कराने हेतु जागरूक किया जाय। किसान भाई इस पर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। भूमि एवं जल संरक्षण सम्बन्धी योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कर बीहड़, ऊसर, बंजर, जलमग्न भूमियों को सुधार कर कृषि योग्य बनाया जाय तथा तालाबों का सुदृढ़ीकरण कराकर भूमिगत जल स्तर का सुधार किया जाय एवं इस योजना के अन्तर्गत सुधारी गयी भूमि को कृषि उत्पादन के अन्तर्गत लाया जाय। विशेषकर बुन्दलेखण्ड एवं विन्ध्याचल मण्डल में जल संरक्षण कार्यक्रमों को विशेष रूप से क्रियान्वित किया जाय।

19. खरीफ उत्पादन लक्ष्य:-

प्रदेश के जनपदों हेतु खरीफ-2022 में फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं। खरीफ-2022 में कुल खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 236.53 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन 3.64 लाख मीट्रिक टन कुल 240.16 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फसलवार लक्ष्य निम्नवत् है:-

क्षेत्रफल- 000 हे0
उत्पादन- 000 मी0 टन
उत्पादकता- कुं0/हे0

क्र0 सं0	फसल का नाम	वर्ष 2020-21 की उपलब्धि			वर्ष 2021-22 की उपलब्धि			वर्ष 2022-23 के लक्ष्य		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पा0	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पा0	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पा0
1	धान (चावल)	5941.447	17136.470	28.84	5969.992	15967.925	26.75	5900.000	17700.000	30.00
2	मक्का	708.688	1636.447	23.09	690.789	1466.647	21.23	780.000	2160.600	27.70
3	बाजरा	907.406	2119.958	23.36	904.547	1950.204	21.56	980.000	2405.900	24.55
4	ज्वार	174.246	275.047	15.78	171.039	269.945	15.78	215.000	339.700	15.80
5	मोटा अनाज	11.873	9.082	7.65	7.261	4.805	6.62	15.000	15.000	10.00
6	उर्द	507.945	282.319	5.56	513.980	256.151	4.98	725.000	502.425	6.93
7	मूंग	38.604	15.372	3.98	37.815	13.526	3.58	40.000	25.000	6.25
8	अरहर (अनन्तिम)	295.991	353.876	11.96	295.991	-	-	360.000	504.000	14.00
कुल खाद्यान्न		8586.200	21828.571	-	8591.414	19929.203	-	9015.000	23652.625	-
9	तिल	317.224	98.365	3.10	313.046	70.694	2.26	413.000	138.355	3.35

http://shasanadesh.up.gov.in

10	मूंगफली	90.921	109.921	12.09	90.452	103.043	11.39	125.000	147.500	11.80
11	सोयाबीन	57.413	39.440	6.87	16.903	8.807	5.21	50.000	77.750	15.55
कुल तिलहन		465.558	247.726	-	420.401	182.544	-	588.000	363.605	-
कुल योग		9051.758	22076.297	-	9011.815	20111.747	-	9603.000	24016.230	-

जनपदवार, फसलवार लक्ष्य संलग्न किए जा रहे हैं। (संलग्नक-1)

20. कृषि निवेशों की आपूर्ति के लक्ष्य:- फसलों के उत्पादन में कृषि निवेशों की न केवल मात्रात्मक उपलब्धता बल्कि उनकी सामयिक प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं।

क- **<u>प्रमाणित/संकर बीज</u>**: खरीफ, 2022 में विभिन्न फसलों के प्रमाणित/संकर बीजों के वितरण तथा व्यवस्था का विवरण निम्नवत है:

क्र0 सं0	फसल	खरीफ 2021 की उपलब्धि	खरीफ 2022 में लक्ष्य (मात्रा कुं0 में)	बीज प्रतिस्थापन की दर प्रतिशत में खरीफ 2022
1	धान	725564	735000	55
2	संकर धान	212653	212420	100
धान योग		938217	947420	-
3	मक्का	19757	20500	14
4	संकर मक्का	62915	63550	100
मक्का योग		82672	84050	-
5	ज्वार	6234	6200	23
6	संकर ज्वार	8839	9090	100
ज्वार योग		15073	15290	-
7	बाजरा	3924	4200	9
8	संकर बाजरा	20105	22440	100
बाजरा योग		24029	26640	-
9	मोटा अनाज कोदों/सांवा	66	73	-
10	तिल	4484	4500	33
11	मूंगफली	22601	24500	26
12	सोयाबीन	3990	4200	26
13	उर्द	32101	32500	27
14	मूंग	7106	6500	60
15	अरहर	15908	18000	36
16	कपास	78	52.50	-
17	जूट	1	3.50	-
योग		1146326	1163729	-

जनपदवार प्रमाणित एवं संकर बीजों के **लक्ष्य संलग्नक-2 एवं 3** पर दर्शाये गये है।

21. उर्वरकः-

प्रदेश में खरीफ-2021 में 45.07 लाख मी0टन रसायनिक उर्वरकों का वितरण/खपत हुयी थी। खरीफ-2022 हेतु भारत सरकार ने 55.00 लाख मी0टन उर्वरकों की उपलब्धता पर सहमति प्रदान की है, तदनुसार प्रदेश में उर्वरकों के लक्ष्य निम्नवत हैः-

http://snasadesh.up.gov.in

(मात्रा लाख मी0टन)

क्र0सं0	उर्वरक	खरीफ 2021 की खपत	खरीफ 2022 के लक्ष्य
1	यूरिया	34.24	38.50
2	डी.ए.पी.	5.39	8.50
3	एन.पी.के.	2.01	3.00
4	एम.ओ.पी.	0.68	2.00
5	एस.एस.पी.	2.75	3.00
योग		**45.07**	**55.00**

जनपदवार उर्वरकों के वितरण के संस्थावार लक्ष्य संलग्नक-04 पर दर्शाये गये है।

22. जैव उर्वरक- खरीफ-2022-23 में एन0एफ0एस0एम0 योजनान्तर्गत 6,14,000 जैव उर्वरकों के पैकेटों के वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

23. फसली ऋण:- खरीफ 2021 में रू0 45048.38 करोड़ का अल्पकालीन ऋण कृषकों को प्रदान किया गया था, जो लक्ष्य का 78.42 प्रतिशत है। खरीफ-2022 में रू0 63005.71 करोड का फसली ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फसली ऋण कृषकों को कृषि निवेशो को क्रय करने एवं फसल प्रबन्धन में सहायक है और इसका कृषि उत्पादन वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है। खरीफ हेतु लक्षित फसली ऋणो की पूर्ति हेतु कृषि विभाग एवं बैकों के अधिकारियों के मध्य उचित समन्वय तथा आपके दिशा-निर्देशन में अभियान चलाकर लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति अपेक्षित होगी। **जनपदवार लक्ष्य संलग्नक-05 पर दर्शाये गये है।**

24. किसान क्रेडिट कार्ड:- फसली ऋण वितरण में वृद्धि करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड वितरण की योजना वर्ष 1999-2000 से प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2021-22 में मार्च, 2022 तक 57.17 लाख क्रेडिट कार्ड का वितरण सहकारी एवं व्यवसायिक बैकों द्वारा किया गया। वर्ष 2022-23 में सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार द्वारा भी प्रदेश के प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थी कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। **जनपदवार लक्ष्य संलग्नक-06 पर दर्शाये गये है।**

25. कृषि रक्षा रसायन:- विगत खरीफ 2021 में 9400.00 मी0 टन/कि0ली0 कृषि रक्षा रसायनों का वितरण कृषकों में कराया गया। खरीफ 2022 हेतु 9740.00 मी0 टन/कि0ली0 कृषि रक्षा रसायनों के वितरण का लक्ष्य निम्नवत निर्धारित किया गया है:-

क्र0सं0	रसायन वर्ग	इकाई	खरीफ 2021 की खपत (समस्त स्रोतों द्वारा)	खरीफ 2022 के प्रस्तावित लक्ष्य (समस्त स्रोतों द्वारा)
1	कीटनाशक धूल/दानेदार	मी0टन	3144.47	3280.00
2	कीटनाशक तरल	कि0ली0	737.10	660.00
3	फफूँद नाशक	मी0टन/कि0ली0	770.14	770.00
4	तृणनाशक	मी0टन/कि0ली0	2038.15	2140.00
5	मूषनाशक/धूम्रक	मी0टन	76.21	90.00
6	वायोपेस्टीसाइड्स	मी0टन/कि0ली0	2104.46	2800.00
योग			8870.53	9740.00

जनपदवार व संस्थावार कृषि रक्षा रसायनों के लक्ष्य संलग्नक-07 पर दर्शाये गये है।

http://upsandesh.gov.in

26. बायोपेस्टीसाइड्सः- एग्रो इकोसिस्टम एवं पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन को अपनाने पर बल दिया जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित न हो एवं पर्यावरण तथा कृषि उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके, जिसके लिये बायोपेस्टीसाइड्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। फसलों पर कीटनाशी रसायनों के अवशेष तथा बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि कीट/रोगों की रोकथाम हेतु रासायनिक उपचार के सुरक्षित रसायनों का प्रयोग किया जाय। खरीफ 2022 में वितरित किये जाने वाले बायोपेस्टीसाइड्स के लक्ष्य निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	बायोपेस्टीसाइड्स का नाम	इकाई	खरीफ 2021 की खपत (समस्त स्रोतों द्वारा)	खरीफ 2022 के प्रस्तावित लक्ष्य (समस्त स्रोतों द्वारा)		
				कृषि	अन्य संस्था	योग
1	नीम आयल	कि0ली0	242.222	80.00	240.00	320.00
2	ट्राइकोडरमा	मी0टन	1191.060	380.00	1140.00	1520.00
3	ब्यूबेरिया बैसियाना	मी0टन	582.730	160.00	480.00	640.00
4	स्यूडोमोनास	मी0टन	69.579	70.00	210.00	280.00
5	मेटाराइजियम	मी0टन	8.304	3.75	11.25	15.00
6	वर्टीसीलियम	मी0टन	7.182	3.75	11.25	15.00
7	बी0टी0	मी0टन	2.818	2.25	6.75	9.00
8	एन0पी0वी0 (1000 एल0ई0=1 ली0)	कि.ली.	0.565	0.25	0.75	1.00
योग			2104.46	700.00	2100.00	2800.00

जनपदवार वितरण के लक्ष्य संलग्नक-8 पर दर्शाए गए हैं।

27. बायोएजेण्ट्सः- पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ विषरहित खाद्यान्न में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे परजीवी व परभक्षी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है, जो नाशीजीवों का विनाश करते है, जिससे कृषि लागत कम करके अधिक आर्थिक लाभ लिया जा सकता है एवं पर्यावरण तथा कृषि उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है।

क्र0 सं0	बायोपेस्टीसाइड्स का नाम	इकाई	खरीफ 2021 की खपत (समस्त स्रोतों द्वारा)	खरीफ 2022 के प्रस्तावित लक्ष्य (समस्त स्रोतों द्वारा)		
				कृषि	अन्य संस्था	योग
1	ट्राइकोग्रामा कार्ड	संख्या	5340	9200	27600	36800

28. कृषि निवेशों की उपलब्धता हेतु समय सारणी

खरीफ उत्पादन कार्यक्रम की सफलता हेतु कृषि निवेशों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की व्यवस्था बुआई से पूर्व ही कर लेना अति आवश्यक है जिसके लिए विस्तृत कार्य योजना निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाय तथा प्रत्येक जनपद में विकास खण्ड व फसलवार उत्पादन योजना तैयार की जाय। कृषि निवेशों की आपूर्ति निम्न समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जायः-

(1) बीज व कृषि रक्षा रसायनः-

क्र0सं0	कृषि निवेश का नाम	जनपद स्तर पर उपलब्ध कराने की	बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध कराने की	उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी

		तिथि	तिथि	
1	ढैंचा बीज	20 अप्रैल से 10 मई	24 अप्रैल से	जि0कृअ0/स0नि0सह0/जि0प्र0एग्रो
2	धान एवं मक्का बीज	01 मई से 25 मई	05 मई से	जि0कृअ0/स0नि0सह0/जि0प्र0एग्रो
3	ज्वार/बाजरा/मूंगफली बीज	05 मई से 31 मई	15 मई से	जि0कृअ0/स0नि0सह0/जि0प्र0एग्रो
4	सोयाबीन/उर्द/मूंग बीज	05 मई से 31 मई	30 मई से	जि0कृअ0/स0नि0सह0/जि0प्र0एग्रो
5	अन्य खरीफ फसलें (बीज) कृषि रक्षा रसायन	05 मई से 31 मई 15 अप्रैल से 15 जून	30 मई से 05 मई से	जि0कृअ0/स0नि0सह0/जि0प्र0एग्रो जि0कृअ0/स0नि0सह0/जि0प्र0एग्रो

(2) **उर्वरकों की आपूर्ति हेतु समय सारणी:-**

भारत सरकार के स्तर से उर्वरकों का आवंटन माहवार आवश्यकता के सापेक्ष किया जाता है। आवंटन प्राप्ति होने के उपरान्त आपूर्ति व्यवस्था ससमय सुनिश्चित की जाय।

निम्न समय सारणी के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व का निर्धारण:-

स्तर	उ0प्र0सह0संघ	उ0प्र0 एग्रो	गन्ना	कृषि विभाग
राज्य स्तर	निबंधक, सहकारी समितियॉ	प्रबंध निदेशक	गन्ना आयुक्त	कृषि निदेशक
मण्डल स्तर	उप निबंधक, सहकारी समितियां	क्षेत्रीय प्रबंधक	संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त	संयुक्त कृषि निदेशक
जनपद स्तर	सहायक निबंधक, सहकारी समितियॉ	जिला प्रबंधक	जिला गन्ना अधिकारी	उ0कृ0नि0/जिला कृषि अधिकारी
विकास खण्ड	स0वि0अ0	प्रभारी बिक्री केन्द्र	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	व0प्रा0सहा0ग्रुप-बी
बिक्री केन्द्र	सचिव, सहकारी समितियॉ	-	सचिव, गन्ना समिति	प्रभारी बीज भण्डार

29- फसल सघनता में वृद्धि:-

वर्तमान में फसल सघनता 162.41 प्रतिशत से बढाकर 170.00 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। फसल सघनता में वृद्धि हेतु कृषकों को दो या तीन फसल लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। खरीफ में खाली पडे क्षेत्रों का कृषि में उपयोग एवं जायद में सिंचित क्षेत्रों में खेती को बढावा देने की आवश्यकता है। उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग कर फसल सघनता बढाने हेतु निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं:-

- प्रदेश में अभी भी काफी भूमि है विशेषकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जहॉ खरीफ में कोई भी फसल नहीं ली जा रही है वहॉ प्रयास कर खरीफ क्षेत्राच्छादन को बढाया जाय।
- उपरहार क्षेत्र जहां सुनिश्चित सिंचाई के साधन उपलब्ध है वहॉ पर अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाय जिसके उपरान्त उसी खेत में तोरिया, उर्द आदि की फसल ली जा सके इससे उत्पादन बढ़ने के साथ ही फसल सघनता में वृद्धि होगी।

- सुनिश्चित सिचाई वाले क्षेत्रों में जायद की फसल लेने हेतु विशेष बल देने की आवश्यकता है। ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को भी बढ़ावा दिया जाय, जिससे उपलब्ध जल की बचत के साथ ही अधिकाधिक क्षेत्र की सिचाई हो सके।

30. उत्पादकता में वृद्धि:-

कृषि निवेशों की समय से उपलब्धता एवं नवीन तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। धान्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु उन्नतिशील प्रजातियों के प्रमाणित/आधारीय बीज तथा संकर बीजों को बढ़ावा देना प्रस्तावित है, जिसके लिए विभिन्न स्रोतों से 8.56 लाख कुं0 उन्नतिशील प्रजातियों के प्रमाणित बीज तथा 3.07 लाख कुन्तल संकर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि निर्यात क्षेत्र विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बासमती धान की प्रजातियों को प्रोत्साहित किया जाय।

- **प्रदेश में विभिन्न फसलों की उपलब्ध प्रजातियों की क्षमता की तुलना में वास्तविक उत्पादकता बहुत कम है। अतः उत्पादकता में अपेक्षित सुधार के लिये विशेष प्रयास करना होगा।**
- न्याय पंचायतों में कृषि निवेशों की उपलब्धता, विशेष रूप से उन्नत प्रमाणित बीजों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के साथ-साथ कौशल प्रदर्शनों द्वारा उन्नत कृषि प्राविधिकी की जानकारी दी जाय। प्रशिक्षणो/तकनीकी जानकारी सत्रो में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जाय।
- प्रदेश में खरीफ फसलों का उत्पादन सुनिश्चित करने एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि वर्षा पर निर्भरता घटायी जाय। इसके लिए जिन क्षेत्रों में सुनिश्चित सिंचाई के साधन हैं वहॉ पर वर्षा के ठीक पूर्व पलेवा देकर बुवाई/रोपाई की जाय जिससे वर्षा प्रारम्भ होने के पूर्व फसलों का जमाव सुनिश्चित हो जाये तथा विगत वर्षो में अनुभव किए गये सूखे की यदि पुनरावृत्ति हो तो उसके प्रभाव को कम किया जा सके।
- जनपद/क्षेत्र पंचायत स्तरीय अधिकारियों को विशेष अनुश्रवण के लिये न्याय पंचायतें आवन्टित की जाय और उनका मूल्यांकन किया जाय।

31. कृषि निवेशों की सामयिक व्यवस्थाः-

उन्नतशील प्रमाणित बीज

प्रदेश में खरीफ की मुख्य फसल धान है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 60.00 लाख हेक्टेयर है। विशेष रूप से धान की उत्पादकता वृद्धि पर विशेष बल दिया जाय। सिद्धान्त: ''बीज प्रतिस्थापन दर'' अर्थात प्रमाणित बीज की उपलब्धता द्वारा लगभग 20 प्रतिशत उत्पादकता में वृद्धि संभावित रहती है, इसलिये वित्तीय वर्ष 2022-23 में धान का ''बीज प्रतिस्थापन दर'' का लक्ष्य 55 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। प्रजाति प्रतिस्थापन दर (VRR) जो कि उत्पादकता वृद्धि का एक महत्वपूर्ण आयाम है, उसे बढ़ाने के लिए धान्य व दलहनी फसलों की 10 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजातियों एवं तिलहनी फसलों के 15 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजातियों को बढ़ावा देने हेतु 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है। उपरोक्त के अतिरिक्त संकर प्रजातियों के वितरण का भी प्रस्तमाव है। मुख्य रूप से संकर धान, ज्वार, बाजरा एवं मक्का के बीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। खरीफ 2022 में 2.12 लाख कुन्टल नोटीफाइड/प्रमाणित/टी0एल0 संकर धान बीज वितरण का लक्ष्य है। इसी प्रकार संकर मक्का, ज्वार एवं बाजरा के बीजों की प्रचुर उपलब्धता होगी। खरीफ में वितरित होने वाले समस्त बीजों को डी0बी0टी0 प्रक्रिया द्वारा पूर्ण किया जायेगा, जिसमें अनुमन्य अनुदान की धनराशि कृषकों के बैक खाते में स्थानान्तरित की जाएगी। कृषकों को पूरे मूल्य पर बीज क्रय करना होगा। विगत वर्ष खरीफ 2021-22 में डी0बी0टी0 प्रक्रिया का संचालन सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया है। वर्तमान वर्ष में खरीफ की दलहनी फसल अरहर, उर्द एवं मूंग के भी प्रमाणित उन्नतशील बीज की प्रचुरता रहेगी। बीज शोधन के बाद दलहनी बीजों की बुवाई पर विशेष बल दिया जायेगा। विशेष रूप से बुन्देलखण्ड तथा वर्षा आधारित क्षेत्रों

http://sirsasandesh.up.gov.in

में ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग व तिल की खेती को बढ़ावा दिया जाय। रोगों से बचाव के लिये बीज शोधन का कार्य विशेष रूप से कराया जाय। ऐसे कृषक जो स्वयं उत्पादित बीज प्रयोग करते हैं, उनको बीज शोधन हेतु प्रेरित करें। शत प्रतिशत बीज का शोधन के पश्चात ही बीजों का उपयोग किया जाय। गुणवत्तायुक्त बीज समस्त कृषकों को सुलभ हो इसके लिए ''बीज ग्राम योजना'' जिसमें बीज-कृषक स्तर पर तैयार किया जाता है, के कार्यक्रम में कृषकों की प्रतिभागिता अधिक से अधिक सुनिश्चित कराई जाए।

32. उर्वरकों का वितरणः-

दिनांक 28 फरवरी, 2022 को भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जोनल कान्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश हेतु खरीफ-2022 में 38.50 लाख मी0टन यूरिया, 8.50 लाख मी0टन डी0ए0पी0 एवं 3.00 लाख मी0टन एन0पी0के0 काम्पलेक्स तथा 2.00 लाख मी0टन एम0ओ0पी0 के वितरण का लक्ष्य अनुमोदित किया गया है। इसका माहवार/जनपदवार विभाजन जनपदों को अलग से उपलब्ध कराया गया है। उर्वरकों की आपूर्ति के संबंध में यह अवगत कराना है कि प्रदेश के मासिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार प्रतिमाह फर्टीलाइजर मूवमेन्ट सप्लाई प्लान निर्गत करती है, जिसका जनपदवार विभाजन कर जनपदों की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। बहुधा यह अनुभव किया गया है कि जनपदों में उर्वरकों की उपलब्धता का आंकलन सम्पूर्ण खरीफ सत्र को सामने रख कर किया जाता है। चूंकि भारत सरकार मासिक आवश्यकता के आधार पर उर्वरकों की आपूर्ति करती है। अतः जनपदों में भी उपलब्धता की स्थिति मासिक लक्ष्य के सापेक्ष ही देखी जानी चाहिये। वर्तमान खरीफ में रबी 2022-23 हेतु भी यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की अग्रिम भण्डारण (प्रीपोजीशनिंग) करने का निर्णय प्रदेश शासन ने लिया है एवं यह आशा की जाती है कि जनपदों को खरीफ की आवश्यकता से अधिक यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरक प्राप्त होगा। यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार पूरे वर्ष में एक निर्धारित मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति करती है।

33. कृषि रक्षा कार्यक्रमः-

कृषि उत्पादन में जहॉ एक ओर उन्नतशील बीजों, उर्वरकों का महत्व है वहीं फसल सुरक्षा हेतु कृषि रक्षा कार्यक्रमों को अपनाया जाना अति आवश्यक है। कृषि रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कीटनाशक रसायनों की तुलना में बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स का महत्व अधिक हो गया है, क्योंकि इनके प्रयोग से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ रेजिड्यू विषाक्तता नगण्य होती है। परिणामस्वरूप फसलों के कीटों/रोगों से सुरक्षा में इनके उपयोग में निरन्तर वृद्धि हो रही है । गुणवत्तायुक्त उत्पादन हेतु धान में आई0पी0एम0 कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा। तना एवं फली बेधक कीट की रोकथाम हेतु क्रमशः ट्राइकोकार्ड एवं एन0पी0वी0 के प्रयोग को पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हुई है, इससे न केवल खाद्यान्न, दलहनी एवं तिलहनी फसलों को लाभ हुआ है, अपितु गन्ना एवं सब्जियों पर भी इसका प्रयोग काफी लाभप्रद रहा है। उकठा, जड़ गलन, तना गलन तथा अन्य फफूंदी जनित रोगों के उपचार हेतु ट्राइकोडरमा तथा ब्यूबेरिया बैसियाना का प्रयोग व्यापक स्तर पर प्रारम्भ हुआ है तथा बीज शोधन एवं भूमि शोधन में भी इसका प्रयोग दिनों-दिन बढ़ रहा है। प्रदेश की विभागीय आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं में बायोपेस्टीसाइड्स जैसे ट्राइकोडरमा, ब्यूवेरिया बैसियाना, एन0पी0वी0 तथा बायोएजेन्ट ट्राइकोकार्ड उत्पादित किये जा रहे है, जिनका प्रयोग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के साथ-साथ सामान्य वितरण तथा आयोजित प्रदर्शनों आदि में किया जाता रहा है। बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स का प्रयोग विभिन्न कीटों/रोगों के नियंत्रण में प्रभावी है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इनका प्रयोग सुनिश्चित किया जाय। कृषको के खेतों पर कम से कम एक एकड़ में हाफ फील्ड कौशल प्रदर्शन आयोजित कराये जाय। एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के बायोपेस्टीसाइड्स एवं वायोएजेन्ट उपलब्ध हैं।

34. कृषि यंत्रों को प्रोत्साहन:-

कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा फसल उत्पादन में होने वाले व्यय को कम करने के लिए कृषि यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनके उपयोग से धन एवं समय की बचत के साथ-साथ कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। कृषि विभाग द्वारा भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में कृषि यंत्रों को बढ़ावा देनें के लिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइनेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेजीड्यू योजना चलाई जा रही है, इसके साथ ही एम0एन0ओ0पी0, एन0एफ0एस0एम0 एवं कृषि रक्षा अनुभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत कृषि यंत्रों एवं कृषि रक्षा उपकरणों पर किसानों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

(अ). सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनाः-

फाइनेन्शियल असिस्टेन्स फार प्रोक्यूरमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी एण्ड इक्यूपमेन्ट (घटक संख्या-3)- प्रदेश में अधिकांश कृषक लघु एवं सीमान्त हैं साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नही है कि अधिक लागत के आधुनिक कृषि यंत्र जैसे लेजर लैण्ड लेवलर, रीपर, रीपर कम्बाइन्डर, स्ट्रारीपर, रोटावेटर, सिड ड्रिल/जीरो टिल, सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, राइस ट्रांसप्लान्टर, हैरो, फ्रूट ग्रेडर, ग्राउन्ड नट पॉड स्ट्रीपर, स्ट्राचापर, हैप्पी सीडर, कल्टीवेटर, नैपसेक स्प्रैयर, पावर आपरेटेड स्प्रैयर आदि क्रय कर सकें। अतः प्रदेश के कृषकों तक कृषि यंत्रीकरण का लाभ पहुंचाने हेतु योजनान्तर्गत अनु0जाति, अनु0 जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला कृषकों को क्रय मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत तक तथा अन्य कृषकों को अधिकतम 40 प्रतिशत तक यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना (घटक संख्या-4)- विकास खण्ड/तहसील/जिला स्तर पर कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु लाभार्थी/समूह को परियोजना लागत (अधिकतम रू0 10.00 लाख) का 40 प्रतिशत अधिकतम रू0 4.00 लाख तक अनुदान देय है, जिससे किसान इन केन्द्रों से किराये पर उन्नत कृषि यंत्रों को प्राप्त कर अपने खेतों पर कृषि कार्य समय से एवं सुगमतापूर्वक सम्पन्न कर सकें।

फार्म मशीनरी बैकों की स्थापना (इनसीटू योजना से सम्बद्ध)- विकास खण्ड/तहसील/जिला स्तर पर फार्म मशीनरी बैकों की स्थापना हेतु पंजीकृत कृषक समिति/एन.आर.एल.एम. समूह/पंचायत/गन्ना समिति/सहकारी समिति/उद्यानिकी समिति/कृषक उत्पादक संघ को परियोजना लागत (अधिकतम रू0 10.00 लाख) का 80 प्रतिशत अधिकतम रू0 8.00 लाख तक अनुदान देय है, जिससे किसान इन केन्द्रों से किराये पर उन्नत कृषि यंत्रो को प्राप्त कर अपने खेतों पर कृषि कार्य समय से एवं सुगमतापूर्वक सम्पन्न कर सके।

उपरोक्त योजना में लाभार्थी कृषक/समूह का चयन पंजीकरण के क्रम में ''प्रथम आवक प्रथम पावक'' के आधार पर किया जाता है।

<u>35. ड्रोन प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं क्रय पर अनुदान:</u>

- एफ0एम0टी0टी0आई0, आई0सी0ए0आर0संस्थान, के0वी0के0 एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि ड्रोन प्रदर्शन हेतु ड्रोन एवं उसके सहायक यंत्रों के क्रय करने पर 100 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10 लाख जो कम हो देय होगा।
- एफ0पी0ओ0 को कृषि ड्रोन प्रदर्शन हेतु ड्रोन एवं उसके सहायक यंत्रों के क्रय करने पर 75 प्रतिशत अथवा अधिक रू0 7.50 लाख जो कम हो देय होगा।
- कस्टम हायरिंग सेंटर के विस्तार या स्थापना अन्तर्गत ड्रोन एवं उसके सहायक यंत्रों की खरीद पर कृषि स्नातकों को 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 05 लाख तक अनुदान।
- पंजीकृत कृषक समितियो, एफ0पी0ओ0 एवं ग्रामीण उद्यमी को कस्टम हायरिंग सेन्टर के विस्तार या स्थापना हेतु 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 4.00 लाख तक अनुदान।
- ड्रोन प्रदर्शन हेतु रू. 6000/- प्रति हे.।

http://sreeganadesh.up.gov.in

- कृषि स्नातक युवाओं को इन्दिरा गांधी उड्डयन अकादमी, फुर्सतगंज, रायबरेली अथवा इफ्को (IFFCO) से कृषि ड्रोन प्रशिक्षण एवं लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु नामांकन एवं एस.एम.ए.एम. योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार अनुमन्य अनुदान।

36. प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेजीड्यू योजनाः-

एक टन धान का पुआल जलाने से 5.5 किग्रा0 नाइट्रोजन, 2.3 किग्रा0 फास्फोरस पेन्टाआक्साइड, 25 किग्रा0 पोटैशियम आक्साइड, 1.2 किग्रा0 सल्फर, 50-70 प्रतिशत माइक्रोन्यूट्रिएन्ट एवं 400 किग्रा0 कार्बन का क्षय होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है। 1 टन धान की पुआल जलाने से 3 किग्रा0 कणिका तत्व, 60 किग्रा0 कार्बन मोनो आक्साइड, 1460 किग्रा0 कार्बनडाई आक्साइड, 199 किग्रा0 राख और 2 किग्रा0 सल्फरडाई आक्साइड निकलता है, जो वायु को प्रदूषित करता है तथा मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फसल अवशेष प्रबन्धन में उपयोग आने वाले कृषि यंत्रों को बढावा देने से फसल अवशेष को जलाने की घटना मे कमी आती है, जिससे वातावरण प्रदूषण में कमी आती है साथ ही मिट्टी की उर्वरा क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेजीड्यू योजना के विभिन्न घटकों के माध्यम से किसानों को अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

(क) फार्म मशीनरी बैक की स्थापना (घटक संख्या-1)- विकास खण्ड/तहसील/जिलों में ग्राम स्तर पर फार्म मशीनरी बैक (फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु उपयोगी यंत्र) की स्थापना हेतु पंजीकृत कृषक समिति/पंजीकृत एन.आर.एल.एम. समूह/पंचायत/गन्ना समिति/सहकारी समिति/उद्यानिकी समिति/कृषक उत्पादक संघ/पूर्व में स्थापित कस्टम हायरिंग सेन्टर जिनके पास फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु यंत्र नहीं लिए गये है, कृषि यंत्रों में कम से कम 35 प्रतिशत इन सीटू क्राप रेजिड्यू मैनेजमेन्ट यंत्र (इन यंत्रों को इम्पैनल्ड कम्पनियों से क्रय करना अनिवार्य होगा) सम्मिलित करना अनिवार्य होगा जिस पर लागत का 80 प्रतिशत तक अनुदान देय होगा तथा अन्य कृषि यंत्रों की लागत पर 80 प्रतिशत (एस0एम0ए0एम0 गाइड लाइन के अनुसार) तक अनुदान देय होगा, जिससे किसान इन केन्द्रों से किरायें पर फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु उपयोगी कृषि यंत्रों को प्राप्त कर अपने खेतों पर आवश्यकतानुसार फसल अवशेष प्रबन्धन कर सकें।

(ख) प्रोक्यूरमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी एण्ड इक्यूपमेन्ट फार इन सीटू क्राप रेजीड्यू मैनेजमेन्ट (घटक संख्या-2)

प्रदेश में अधिकांश कृषक लघु एवं सीमान्त हैं साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अधिक लागत के इन सीटू क्राप रेजीड्यू मैनेजमेन्ट हेतु उपयेागी आधुनिक कृषि यंत्रो जैसे-सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्राचापर/श्रेडर/मल्चर, सर्ब मास्टर/कटर कम स्प्रेडर, रिवर्सेबुल एम0बी0 प्लाऊ रोटरी स्लैशर, जीरो टिल ड्रिल तथा रोटावेटर क्रय कर सकें। योजनान्तर्गत कृषकों को इम्पैनल्ड कम्पनियों से यंत्र क्रय करने पर क्रय मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जाय।

37. ड्रम सीडरः-

ड्रम सीडर से धान की सीधी बुवाई की जाती है। इस यंत्र के प्रयोग से धान की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार करने या रोपाई करने की आवश्यकता नही होती। धान के बीजों को भिगोकर जब उनमें अंकुरण होने लगे तब ड्रम सीडर में डालकर सीधी बुवाई की जाय, बुवाई के समय खेत में पानी न हो बल्कि सिर्फ कीचड़ होना चाहिए तथा बुवाई के 24 घंटे तक वारिश न हो अन्यथा बीज तैर जायेगें। नर्सरी तैयार करते समय बीज शोधन अवश्य किया जाय, जिससे बीजों को चिड़िया नहीं चुगेंगी। परम्परागत विधि से जहॉ एक हे0 धान की रोपाई के लिए 50 से 55 श्रमिकों की आवश्यकता होती है वहीं इस विधि के द्वारा 1 श्रमिक 8 घंटे में 1 हे0 खेत की बुवाई कर सकता है। इस विधि के प्रयोग से धान की खेती की लागत में 65 से 67 प्रतिशत कमी पायी गयी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, हरित क्रान्ति तथा सब मिशन

आन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अन्तर्गत ड्रम सीडर पर अनुदान देय है। अधिकाधिक कृषकों को ड्रम सीडर क्रय करने हेतु प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।

38. कटाई के बाद प्रबन्धनः-

खरीफ फसलों की कटाई के बाद का प्रबन्धन बहुत ही आवश्यक होता है, क्योकि नमी अधिक होने की दशा में भण्डारित अनाज/बीज जल्दी खराब होता है। अतः भण्डारण से पहले और फसल कटाई के बाद की समस्त आवश्यक प्रक्रियाओं को अपनाकर अनाज/बीज को सुरक्षित रखा जाय। माननीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा फसल अवशेषो को जलाये जाने पर रोक लगाई गयी है। इस सन्दर्भ में विभिन्न शासनादेशों द्वारा निर्देश भी जारी किये गये है, उनका कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए लघु/सीमान्त कृषको को विभिन्न फसलों की कटाई के लिए नये कटाई यंत्रो के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु आर0के0वी0वाई0 से प्रदर्शनों/वितरण हेतु अलग से योजना भी बनायी जाय।

39. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन खरीफ-2022 योजनान्तर्गत कार्यक्रमः-

इस योजना के विभिन्न घटकों को प्रदेश के जनपदों में निम्नानुसार संचालित किया जाना हैः-

घटक	चयनित जनपद
चावल घटक (21 जनपद)	अलीगढ़, बरेली, बदायूँ, मुरादाबाद, रामपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, बलरामपुर, बहराइच तथा श्रावस्ती
दलहन घटक(समस्त 75 जनपद)	समस्त 75 जनपद
गेहूँ घटक (29 जनपद)	हाथरस, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ, मऊ, बलिया, गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, लखनऊ, अयोध्या, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती
कोर्स सीरियल्स (मक्का एवं जौ)	मक्का (13 जनपद)- बहराइच, कन्नौज, मैनपुरी, जौनपुर, गोण्डा, बुलन्दशहर, हरदोई, कासगंज, फर्रूखाबाद, बलिया, उन्नाव, एटा व ललितपुर जौ (19 जनपद)- बुलन्दशहर, ललितपुर, एटा, जालौन, अलीगढ, फिरोजाबाद, सोनभद्र, गाजीपुर, झांसी, महोवा, कानपुर नगर, आगरा, कानपुर देहात, प्रयागराज, चित्रकूट, मथुरा, मिर्जापुर, बलिया तथा हमीरपुर
न्यूट्री सीरियल्स (ज्वार, बाजरा, सांवा व कोदों)	ज्वार-(05 जनपद)- बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर। बाजरा (19 जनपद)- आगरा, अलीगढ, प्रयागराज, औरैया, बदायूँ, बुलन्दशहर, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हाथरस, जालौन, कानपुर देहात, कासगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, प्रतापगढ एवं सम्भल सांवा व कोदो (1 जनपद)- सोनभद्र
कामर्शियल क्राप(जूट, कपास व गन्ना)	जूट (5 जनपद)- सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बहराइच एवं श्रावस्ती

http://shasanadesh.up.gov.in

	कपास (4 जनपद)- आगरा, मथुरा, अलीगढ एवं हाथरस गन्ना (26 जनपद)- सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहॉपुर, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, अयोध्या, महराजगंज एवं गोरखपुर।

40. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत कार्यकलाप (चावल, दलहन, कोर्स सीरियल्स, न्यूट्री सीरियल्स व कामर्शियल क्राप्स घटक):-

- उन्नतशील तकनीक आधारित क्लस्टर प्रदर्शनों का निःशुल्क आयोजन।
- फसल पद्धति आधारित प्रदर्शनों में आयोजित कृषक प्रशिक्षण का निःशुल्क आयोजन। प्रत्येक प्रशिक्षण में 30 कृषक प्रतिभाग करेगें।
- दलहनी फसलों की 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली प्रजातियों के प्रमाणित बीज पर वितरण रू0 5000.00 प्रति कुं0 तथा 10 वर्ष से अधिक अधिवर्षता वाली प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 2500.00 प्रति कुं0 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य है।
- धान, मक्का, ज्वार, बाजरा के संकर बीज वितरण पर रू0 10000/- प्रति कुं0 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य है।
- धान की 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली उन्नतशील प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 2000.00 प्रति कुं0 तथा 10 वर्ष से अधिक अधिवर्षता वाली प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 1000.00 प्रति कुं0 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य है।
- मक्का, ज्वार, बाजरा की संकुल तथा जौ, कोदो एवं सांवा की उन्नतशील 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 3000.00 प्रति कुं0 तथा 10 वर्ष से अधिक अधिवर्षता वाली प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 1500.00 प्रति कुं0 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य।
- दलहनी फसलों की 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली सभी प्रजातियों के प्रमाणित बीजोत्पादन पर रू0 5000.00 प्रति कुं0 तथा न्यूट्री सीरियल्स (ज्वार, बाजरा, सांवा व कोदो) की 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली सभी प्रजातियों के प्रमाणित बीजोत्पादन पर रू0 3000.00 प्रति कुं0 की प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य।
- एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन (सूक्ष्म पोषक तत्व, मृदा सुधारक तथा बायोफर्टीलाइजर) एवं एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन (कृषि रक्षा रसायन व खरपतवारनाशी) पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा निर्धारित धनराशि जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य।
- कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषकों हेतु मूल्य का 50 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा निर्धारित धनराशि जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य।
- सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर सेट्स पम्पसेट तथा पाईप के वितरण पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा निर्धारित धनराशि जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य।
- लोकल इनिशिएटिव मद के अन्तर्गत सामुदायिक थ्रेसिंग फ्लोर का निर्माण हेतु न्यूनतम 10 कृषकों के समूह को निःशुल्क छोटा बीज गोदाम 56.25 वर्गमीटर का बनाने पर 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है जो अधिकतम रू0 3.34 लाख देय होगा। मिनी दाल मिल/तिरपाल (छोटा एवं

बड़ा) पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा निर्धारित धनराशि जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य तथा बखारी 5.00 कु0 क्षमता पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रति इकाई अधिकतम रू0 1500/- देय होगा।

41. नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर(एन0एम0एस0ए0)- कृषि उत्पादकता को सतत् बनाना प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा एवं जल की गुणवत्ता और उपलब्धता पर निर्भर करता है। कृषि उत्पादकता को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रयोग को बढ़ावा देकर इस्तेमाल योग्य बनाए रखा जा सकता है। इसी अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत तीन मुख्य घटक हैः-

अ- रेनफेड एरिया डेवलपमेंट(आर0ए0डी0)- इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 35 जनपदों में संचालित 57 भू0सं0 ईकाइयों द्वारा कार्य किया जा रहा है, इस योजना के अन्तर्गत एक कृषक परिवार को दो हेक्टेयर जोत सीमा तक सम्पूर्ण योजनाकाल में अधिकतम रू. 1.00 लाख का अनुदान देय है, जो कि विभिन्न कृषि प्रणाली यथा दुग्ध आधारित, बागवानी आधारित, पशुधन आधारित, कृषि वानिकी एवं मत्स्य आधारित और मूल्य सम्वर्धन के अन्तर्गत मधुमक्खी पालन, ग्रीन हाऊस, वर्मी कम्पोस्ट, साइलेज मेकिंग, पोस्ट हार्वेस्ट स्ट्रक्चर कार्यो पर 50 प्रतिशत का अनुदान देय है। योजनान्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से रू0 35.00 करोड की कार्य योजना स्वीकृति के सापेक्ष मात्र 875.00 लाख की वित्तीय उपलब्धता के सापेक्ष शतप्रतिशत व्यय किया गया है, जिसमें 5146 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कलस्टर बनाकर 7265 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु भारत सरकार से रू. 26.00 करोड़ का एलोकेशन केन्द्रांश के रूप में निर्धारित हुआ है। राज्यांश को सम्मिलित करते हुए योजनान्तर्गत रू. 43.30 करोड़ व्यय किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत चयनित जनपदों में कुल 11093 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कलस्टर बनाकर 17439 किसानों को लाभान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

ब. परम्परागत कृषि विकास योजना एवं स्वच्छता एक्शन प्लान नमामिगंगे क्लीन अभियान- जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संतुलन को कायम रखते हुए, कम लागत वाली कृषि तकनीकि अपनाकर खेती करना है। इसके अन्तर्गत रसायन एवं पेस्टीसाइड मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन किया जायेगा, जिससे कृषि लाभकारी होगी एवं कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार होगा तथा कृषि उत्पादन को स्थायित्व प्रदान होगा। जैविक खेती को अपनाने से किसान कृषि निवेशों के मामले में आत्मनिर्भर होंगे। योजना के अन्तर्गत वर्षा आधारित कृषि वाले क्षेत्र, परम्परागत कृषि करने वाले क्षेत्र, कम उर्वरक प्रयोग किये जाने वाले क्षेत्र एवं जहॉ पर कृषि उत्पादकता कम है, ऐसे क्षेत्रों का चयन जैविक खेती के अन्तर्गत किया जाता है। वर्ष 2021-22 में परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत 585 क्लस्टर (11700 हे0 क्षेत्रफल) में जैविक खेती का क्रियान्वयन किया जा रहा है। गत वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से धनराशि समय से उपलब्ध न होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। वर्ष 2022-23 में पूर्व से संचालित 585 क्लस्टर (11700 हे0 क्षेत्रफल) में कार्य किया जाना है, इसके अतिरिक्त 1200 कलस्टर की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त है, जो इस वित्तीय वर्ष में संचालित किया जाना है। स्वच्छता एक्शन प्लान, नमामि गंगे क्लीन अभियान योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में 2109 क्लस्टर (42180 हे0 क्षेत्रफल) में जैविक खेती का कार्य संचालित किया गया है, साथ ही 500 क्लस्टर (1000 हे0 क्षेत्रफल) की भारत सरकार से वर्ष 2020-21 में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है, परन्तु गत वर्ष में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका। वर्ष 2022-23 हेतु पूर्व से संचालित 2109 क्लस्टर (42180 हे0 क्षेत्रफल) तथा 500 नए क्लस्टर (1000 हे0 क्षेत्रफल) में जैविक खेती के क्रियान्वयन

का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 2000 नए क्लस्टर की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। यह कार्य भी संचालित किया जाना है। इस योजना की योजनावधि 3 वर्ष है। भारत सरकार की संशोधित गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक क्लस्टर को प्रथम वर्ष धनराशि रू0 3.30 लाख, द्वितीय वर्ष में रू0 3.40 लाख एवं तृतीय वर्ष में रू0 3.30 लाख /-(तीन वर्षो हेतु कुल रू0 10.00 लाख) की सुविधा क्षमता विकास, फसल प्रबन्धन एवं सुरक्षा, जैविक प्रमाणीकरण, मूल्य सम्बर्धन तथा विपणन पर व्यय किया जाना है, जिसमें से 62 प्रतिशत धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषको को वायोइनपुट प्रबन्धन एवं फसल सुरक्षा पर देय है। क्लस्टर में चयनित कृषकों को अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्रफल की सीमा तक अनुदान अनुमन्य है।

स. मृदा स्वास्थ्य कार्ड-

प्रदेश के समस्त जनपदों के प्रत्येक विकास खण्ड (823) से दो राजस्व ग्रामों का चयन करते हुए जोत आधारित मृदा नमूना एकत्र कर 12 पैरामीटर यथा- मुख्य पोषक तत्व- 1. मृदा पी0एच0, 2. ई0सी0, 3. जीवांश कार्बन, 4. उपलब्ध नत्रजन, 5. उपलब्ध फास्फोरस, 6. उपलब्ध पोटाश, द्वितीय पोषक तत्व- 7. गंधक, सूक्ष्म पोषक तत्व-8. जिंक, 9. लोहा, 10. मैगनीज, 11. तांबा, 12. बोरान पर विश्लेषण कर संबधित राजस्व ग्राम के समस्त कृषकों को निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भारत सरकार से प्राप्त एडवाइजरी एवं गाइड लाइन के अनुसार प्रेषित किया गया है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होते ही वर्ष 2022-23 में कार्यक्रम का संचालन कराया जाएगा। साथ ही विभाग की अन्य योजनाओं यथा- नमामि गंगे, परम्परागत कृषि विकास योजना, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना के मृदा नमूनों का भी विश्लेषण किया जाना प्रस्तावित है।

1. **प्रदर्शन**- कृषकों के खेत पर पोषक तत्व प्रबंधन के फसल प्रदर्शन का आयोजन कराया जाता है।
2. **कृषक प्रशिक्षण**- कृषकों को संतुलित उर्वरकों के प्रयोग हेतु जागरूकता प्रशिक्षणों का आयोजन कराया जाता है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यकम की उपलब्धियॉ एवं प्रगतिः-

1. प्रदेश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के संचालन से मृदा स्वास्थ्य, मृदा उर्वरता, फसल उत्पादन में वृद्धि से कृषकों की आय में वृद्धि हो रही है तथा लागत में कमी आ रही है।
2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम अन्तर्गत प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र एवं माडल ग्राम में कृषकों को नि:शुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया गया है।
3. मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दिये गये 12 पैरामीटर की संस्तुतियों के आधार पर प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण का आयोजन कर कृषकों को जागरूक किया जाता है।
4. वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से कार्य योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण योजना का संचालन नहीं किया जा सका।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित लक्ष्यः-

इसके अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में प्रदेश में चयनित 1646 ग्रामों में जोत आधारित 617922 मृदा नमूना एकत्र कर विश्लेषणोपरान्त कृषकों को नि:शुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। साथ ही कृषकों को जागरूक करने हेतु 3292 प्रदर्शन एवं 1646 प्रशिक्षणों का आयोजन कराया जाना भी प्रस्तावित है।

42. प्रदेश में वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब योजनाः-

प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में बुन्देलखण्ड सहित प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्षा जल संचयन हेतु 10000 खेत तालाब निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष बजट की उपलब्धता के आधार पर 5388 खेत तालाबों का निर्माण कराया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में

प्रदेश के समस्त जनपदो में वर्षा जल संचयन हेतु 10000 खेत तालाब निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। वर्ष 2022-23 में कृषकों का ऑनलाइन पंजीकरण कर योजना से लाभान्वित किया जायेगा।

43. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजनाः-

वर्ष 2013-2014 से प्रदेश के समस्त जनपदों में सोलर फोटोवोल्टैइक इरीगेशन पम्प की योजना संचालित की जा रही थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना संचालित की जा रही है। सिचाई व्यवस्था में विद्युत की सामयिक अनुपलब्धता, बाधाओं एवं डीजल चालित पम्प सेटो से पर्यावर्णीय परिवर्तन में कमी लाने के दृष्टिकोण से वैकल्पिक ऊर्जा के रूप मे सोलर पम्प को सिचाई व्यवस्था के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है। सोलर पम्प की स्थापना से न केवल विद्युत ऊर्जा की बचत होगी, बल्कि ईधन इत्यादि के आवर्ती व्यय में भी कमी आयेगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से इस योजना को आकर्षित करने के उद्देश्य से योजना संचालित की जा रही है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एण्ड रिन्यूवल एनर्जी विभाग द्वारा निर्गत गाइड लाइन के अनुसार 1 एच0पी0 से 10 एच0पी0 तक के सोलर पम्पों पर मूल्य का 30 प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा भी 2 एच0पी0 से 3 एच0पी0, 5 एच0पी0, 7.5 एच0पी0 एवं 10 एच0पी0 के सोलर पम्पो पर मूल्य का 30 प्रतिशत अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार कृषकों को 2 एच0पी0, 3 एच0पी0, 5 एच0पी0, 7.5 एच0पी0 एवं 10 एच0पी0 के सोलर पम्प पर मूल्य का 60 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराए जा रहें है। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्रदेश में कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के 15000 सोलर पम्पों की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षमता के 9000 अतिरिक्त सोलर का लक्ष्य प्राप्त करने का एम0एन0आर0आई0 भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। भारत सरकार से अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त होने पर इन 9000 अतिरिक्त सोलर पम्पों की स्थापना का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में कृषकों के प्रक्षेत्र पर कराया जाएगा।

44 पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि एवं मनरेगा योजनाः-

- पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 74 जनपदों के 43850 हे. समस्याग्रस्त बीहड/बंजर व जलभराव क्षेत्र का उपचार/वृक्षारोपड़ का कार्य किया जायेगा, जिससे उत्पादकता एवं उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि होगी।
- मनरेगा योजनान्तर्गत लघु/सीमान्त कृषकों के खेतो पर वाटर रिचार्जिग एवं गांव स्तर पर मजदूरों को रोजगार देने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर योजना बनाकर क्रियान्वित किया जाय।

45 राज्य योजनान्तर्गत संचालित जैव कल्चर उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम वर्ष 2022-23

- योजनान्तर्गत जैव उर्वरक व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करते हुए कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। कृषकों को जैव उर्वरक उत्पादन के लागत मूल्य रू. 21/- प्रति पैकेट (200 ग्राम) का 75 प्रतिशत, अनुदान धनराशि रू. 15.75 प्रति पैकेट डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खाते में प्रदान किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में 567482 जैव उर्वरक पैकेटों का वितरण किया गया है।
- वर्ष 2022-23 में जैव उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजनान्तर्गत 17.57 लाख जैव उर्वरक पैकेट (राइजोबियम, एजोटोवैक्टर तथा पी0एस0बी0) का उत्पादन कर कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर वितरण कराया जाना प्रस्तावित है।

http://sriesandesh.up.gov.in

46. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (SMAE)

कृषि प्रसार के लिए उप मिशन **(SMAE)** का उद्देश्य विद्यमान प्रसार एवं सूचना प्रौद्योगिकी (IT) स्कीम को सुदृढ़, विस्तृत एवं उच्चीकृत करना है। इसके अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित होते हैं। जिलाधिकारी द्वारा जनपद की एग्रीकल्चर टेक्नालोजी मैनेजमेन्ट एजेन्सी (ATMA) की गर्वनिंग वोर्ड की त्रैमासिक बैठक में इसकी प्रगति की समीक्षा की जाय।

सामान्य कार्यक्रमः-

- प्रदर्शनों का आयोजन(खरीफ में 22 प्रदर्शन प्रति विकास खण्ड एवं 8 प्रदर्शन एलाइड सेक्टर के प्रति विकास खण्ड)।
- कृषक-वैज्ञानिक संवाद का आयोजन।
- कृषक गोष्ठी एवं क्षेत्र दिवसों का आयोजन।
- कृषकों में जागरूकता पैदा करने तथा दक्षता विकास हेतु भ्रमणों का आयोजन।
- कृषक हितार्थी समूहों का गठन एवं क्षमता विकास।
- उपयोगी कृषि साहित्य का प्रकाशन।
- कृषि विकास में निजी क्षेत्रों की भागदारी बढ़ाना।
- कृषि में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- फार्म स्कूलों का आयोजन- 02फार्म स्कूल प्रति विकास खण्ड एवं 01 फार्म स्कूल प्राकृतिक खेती विषय पर स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर खरीफ अथवा रबी में आयोजित कराया जाए।
- कृषि से सम्बन्धित सफलता की कहानियों का प्रकाशन एवं प्रसार।
- अनुसंधान - प्रसार - कृषक - बाजार कड़ी के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयास करना।
- स्थानीय स्तर पर कृषि विभाग केन्द्रों/रीजनल अनुसंधान केन्द्रों की सहायता से कृषि तकनीक का परीक्षण एवं परिष्करण।
- कृषक पुरस्कार

नवोन्मेषी कार्यक्रम -राज्य स्तरीय

- एग्री-क्लीनिक स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षित एग्रीप्रीन्यूर्स के माध्यम से प्रसार-कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- कृषि-प्रसार-प्रबन्धन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (मैनेज के माध्यम से)।

<u>अन्य नवोन्मेषी कार्यक्रम-राज्य कम्पोनेन्ट</u>

- कृषि तथा सम्बद्ध विभागों द्वारा संचालित पब्लिसिटी कार्यक्रम।

<u>अन्य नवोन्मेषी कार्यक्रम-जनपद कम्पोनेन्ट</u>

- फारमर्स क्लबों का गठन, नाबार्ड के फारमर्स क्लबों का अंगीकरण तथा इनके माध्यम से कृषि प्रसार।
- विकास खण्ड स्तर पर कृषि विभाग के कार्मिक द्वारा एडमिन के रूप में गठित वाट्स एप ग्रुप में प्रत्येक ग्राम से कम से कम 5-5 किसान जोडकर सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
- आत्मा योजनान्तर्गत जो कृषक लीड फार्मर्स के रूप में कार्य कर चुके है उनका अभिप्रेरण कर कोविड-19 आपदा की घड़ी में उन्हें वाट्स एप ग्रुप में जोडकर महत्वपूर्ण लिंक के रूप में उपयोग किया जाय।
- वाट्स एप ग्रुप के माध्यम से विकास खण्ड स्तर से ही कृषको को विभिन्न कृषि निवेशों की उपलब्धता, तकनीकी जानकारी एवं उनकी अन्य समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराया जाय।

http://snasanadesh.up.gov.in

- प्रत्येक विकास खण्ड में गठित वाट्स एप ग्रुप के कृषि विभाग के कार्मिक जो एडमिन है, कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक, लाइन डिपार्टमेन्ट के अधिकारी एवं जनपद के कृषि से सम्बन्धित संस्थानों के प्रमुख को सदस्यो के रूप में जोड़ते हुए जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक को एडमिन बनाते हुए वाट्स एप ग्रुप गठित करते हुए जनपदीय अधिकारियों और क्षेत्रीय कार्मिकों के मध्य बेहतर समन्वय सुनिश्चित कराया जाय।
- कृषक वैज्ञानिक संवाद, फील्ड डे, फार्म स्कूल के सदस्य कृषकों की बैठकों आदि का सोशल डिस्टेसिंग, फेस मास्क उपयोग एवं अन्य सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए आयोजन किया जाय।

47. एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम(चावल) योजनाः-

प्रदेश के 23 जनपदों में नेशनल फ्रूड सिक्योरिटी मिशन योजना के अन्तर्गत एवं 16 जनपदों में फसल विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत चावल उत्पादन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के 38 जनपदों यथा-सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्वनगर, हापुड, हाथरस, एटा, कासगज, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, शाहजहॉपुर, पीलीभीत, बिजनौर, अमरोहा, सम्भल, फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, लखनऊ, लखीमपुर खीरी एवं बाराबंकी में चावल का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम (चावल) योजना का संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के समस्त कृषकों को धान्य फसलों की खेती हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के 38 जनपदों में चावल की उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु कृषकों को उन्नतशील बीज, संकर बीज, सूक्ष्म तत्व, तिरपाल, थ्रेसिंग फ्लोर, स्माल गोदाम एवं फसल प्रदर्शन पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही कृषको को नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार हेतु क्लस्टर प्रदर्शन भी आयोजित कराया जायेगा। योजनान्तर्गत धान के प्रमाणित बीजों(प्रमोशनल प्रजाति 10 वर्ष से कम) पर रू0 2000/- प्रति कुं0, प्रमाणित बीजों(प्रमोशनल प्रजाति 10 वर्ष से अधिक) पर रू0 1000/- प्रति कुं0 तथा संकर बीजों पर रू0 10000/- प्रति कुं0 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो की दर से अनुदान अनुमन्य कराया जाना है।

48. नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल(ऑयल सीड्स एवं टी0बी0ओ0) योजनाः-

प्रदेश में तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल(ओ0एस0/टी0बी0ओ0) योजना संचालित की जा रही है। योजना प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत तिलहनी फसलों की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न कृषि निवेशों, प्रदर्शनो, कृषि यंत्रों आदि पर अनुदान अनुमन्य कराया जाता है।

<u>योजना का उद्देश्यः</u>-

- प्रदेश में तिलहनी फसलों के क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
- **बंजर एवं अनुपयोगी भूमि पर तेल जनित वृक्षों के माध्यम से तेल उत्पादन में वृद्धि।**
- लघु सीमान्त, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं महिला कृषकों को तिलहनी फसलों के माध्यम से अधिक आय दिलाना।
- तिलहनी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु योजना के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना।
- योजना के माध्यम से नवीन प्रजातियों के बीजों पर फसल प्रदर्शन, कृषि यंत्र, सिंचाई उपकरण आदि पर अनुदान उपलब्ध कराना।

<u>प्रदर्शनों का आयोजनः-</u>

नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार हेतु ''कर के सीखें'' (Learning by doing) के सिद्धान्त पर प्रक्षेत्र कृषक स्कूल के अन्तर्गत प्रदर्शनों का आयोजन किया जाना। विभाग द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल(ओ0एस0/टी0बी0ओ0) के अन्तर्गत चयनित जनपदों में उन्नतशील प्रजातियों, हाइब्रिड प्रजातियों के प्रदर्शनों का वृहद कार्यक्रम है। इन प्रदर्शनो का समय से आयोजन कराया जाय व क्षेत्रीय कृषकों को प्रदर्शनों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

49. उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायनों का गुण नियंत्रणः-

खरीफ 2021 में कार्यक्रम के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायन कृषकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में वर्तमान में लगभग 69459 उर्वरक विक्रय केन्द्र संचालित है। इसके अतिरिक्त 53859 बीज तथा 50347 कृषि रक्षा रसायनों के पंजीकृत विक्रेताओं के माध्यम से कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक/बीज/कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध करानें का कार्यक्रम बनाया गया है। निरीक्षण के समय संदिग्ध उर्वरक, बीज तथा कृषि रक्षा रसायनों के नमूने अवश्य ग्रहित किये जाय। खरीफ 2022 में सघन छापे आयोजित कर उर्वरक, बीज तथा कृषि रक्षा रसायनों के नमूनें ग्रहित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनका वार्षिक लक्ष्य क्रमशः 12000, 18000 तथा 7000 है इनकी जनपदवार कार्ययोजना बनाकर अभियान के रूप में बिक्री केन्दों का नियमित आकस्मिक निरीक्षण किया जाय। संदिग्ध उर्वरको/ बीज/कृषि रक्षा रसायनों के नमूने ग्रहित कर विश्लेषणोपरान्त कृषि निवेश अमानक होने पर दोषी पक्ष के विरूद्ध सम्बन्धित अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत समयबद्ध रूप से दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। **जनपदवार लक्ष्य संलग्नक-9 पर दर्शाए गए हैं।**

50. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनाः- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित ''राज्य स्तरीय समन्वय समिति'' की बैठक दिनांक 19.03.2020 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 के खरीफ तथा रबी मौसम में संचालित कराया जायेगा।

योजनान्तर्गत फसलें वास्तविक प्रीमियम दर पर बीमित होती है। खरीफ फसल हेतु बीमित राशि का 02 प्रतिशत एवं रबी की फसल हेतु 1.50 प्रतिशत तथा वार्षिक नकदी/औद्यानिकी फसल हेतु 05 प्रतिशत तक अधिकतम प्रीमियम वहन किया जाता है। शेष प्रीमियम भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार अदा किया जाता है। फसल की बीमित राशि का निर्धारण जनपद में बीमित फसल का औसत उपज (विगत सात वर्षो में पांच सर्वाधिक वर्षो की उपज का औसत) को फसल की भारत सरकार द्वारा अद्यतन घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं होने की स्थिति में फसल की गत वर्ष की कटाई के उपरान्त तीन माह की फार्म गेट प्राइस के औसत) से गुणा कर आंकलित किया जायेगा।

योजना के अन्तर्गत अधिसूचित फसल के उत्पादक सभी किसानों के लिए योजना स्वैच्छिक होगी। ऋणी किसानों को अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अंतिम तिथि के कम से कम सात दिन पहले तक योजनान्तर्गत प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रदान किया जाना है अन्यथा कृषकों की अधिसूचित फसलों का बीमा नियमानुसार करते हुए प्रीमियम की राशि काट ली जायेगी। खरीफ में बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई एवं रबी फसल के लिए 31 दिसम्बर है।

योजनान्तर्गत अधिसूचित फसलें-

खरीफ में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, मूंगफली, तिल व सोयाबीन, तथा रबी में गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, अलसी व आलू को ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचित किया गया है।

दैवीय आपदाओं की बारम्बारता को देखते हुए फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना है। अतः कृषि विभाग के समस्त कार्यक्रमों जहॉ पर कृषकों एवं विभागीय अधिकारियों को

http://sirsanadesi.up.gov.in

सम्मिलित होना है, उसमें इन योजनाओं पर अवश्य प्रकाश डाला जाय। संसाधनों का उपयोग करते हुए कृषकों को इस योजना में अधिक से अधिक भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

51.मण्डल स्तरीय गोष्ठियॉ-

मण्डल स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में किया जायेगा। इस गोष्ठी में मण्डल स्तर के महत्वपूर्ण अधिकारी एवं जनपदीय अधिकारी भाग लेंगे। आवश्यकतानुसार मण्डल के मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (परियोजना)/जिला विकास अधिकारी (परियोजना निदेशक) को आमंत्रित किया जाय। इन प्रशिक्षणों के आयोजन की पूरी व्यवस्था मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा की जायेगी।

52.जनपदीय गोष्ठियॉ

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायत की अध्यक्षता में जनपदीय गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। इनका संयोजन मुख्य विकास अधिकारी/उप कृषि निदेशक करेंगे। इन गोष्ठियों में आवश्यकतानुसार जनपद के विकास कार्यो से सम्बन्धित अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी भाग लेंगे। इनके अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड के आवश्यकतानुसार प्रगतिशील कृषकों को भी सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया जाय।

53.विकास खण्ड स्तरीय गोष्ठियॉ :-

जनपदीय गोष्ठियों में ही विकास खण्ड स्तरीय गोष्ठियों की तिथियॉ निश्चित कर दी जाय। विकास खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण को शीघ्र पूर्ण करने हेतु जनपद स्तर के अधिकारियों की आपस में दो-दो टोलियॉ बनाकर उनको विकास खण्ड आवंटित कर दिये जाय। इन गोष्ठियों की अध्यक्षता परगनाधिकारी/ प्रमुख क्षेत्र समिति द्वारा की जाय तथा आवश्यकतानुसार ग्राम सभा के ग्राम प्रधान, सचिव एवं प्रगतिशील कृषकों को भी आंमत्रित किया जाय।

54. किसानो को अधिकाधिक रूप से फसलोत्पादन से सम्बन्धित जानकारियों आदि की वीडियो क्लीपिंग तैयार कराकर प्रदर्शित करायी जाय तथा सोशल मीडिया संसाधनों यथा ह्वाट्सऐप, जूम ऐप तथा गूगल मीट ऐप आदि का प्रयोग करते हुए कृषको को जानकारी दी जाय। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि मीडिया माध्यमों से जानकारियॉ किसानों को दी जाय। प्रत्येक विकास खण्ड में ग्रामसभा वार प्रगतिशील किसानों के सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर उन्हें नियमित रूप से सामयिक कृषि कार्यों विषयक जानकारियॉ दी जाय तथा ग्राम सभा के अन्य प्रगतिशील किसानों को अधिकाधिक संख्या में ह्वाट्सऐप ग्रुप बनाकर इन जानकारियों के प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

55.कृषि कार्यों को करने के दौरान निम्नलिखित सावधानियां अपनायी जायें:-

सभी प्रकार के कृषि कार्यों को करने से पहले तथा बाद में हाथों को साबुन से नियमित रूप से धोएं अथवा सेनिटाइजर का प्रयोग करें। कार्य करते समय आँख, मुँह, नाक को हाथ से न छुएं ताकि संक्रमण से बचे रहें। कृषि कार्यों हेतु कृषि यंत्रों के प्रयोग को प्राथमिकता दी जाय। कार्य करने से पूर्व कृषि यंत्रों की धुलाई एवं सफाई करें। उर्वरक तथा अन्य निवेशों को दुकानों से क्रय करते समय तथा पी0ओ0एस0 मशीन का प्रयोग करने के पश्चात् साबुन से हाथ धोएं या सेनिटाइजर का प्रयोग करें।

56. यह रणनीति सामान्य मानसून हेतु तैयार की गयी है। मानसून में अप्रत्याशित बदलाव परिलक्षित होने पर अथवा आंशका होने पर तत्काल स्थानीय स्तर पर आप वहां की भूमि, जलवायुविक परिस्थितियों के अनूकूल आकस्मिक योजना तैयार करते हुए शासन को कृषि निदेशक के माध्यम से उपलब्ध करायेगें तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि कृषि योग्य समस्त भूमि पर अनिवार्य रूप से फसलें आच्छादित हों।

57. सिंचाई जल प्रबन्धनः-

फसलोत्पादन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक होगा कि समय पर पर्याप्त सिचाई जल उपलब्ध हो। इस हेतु आवश्यक होगा किः-

1. नहरों व उनकी अल्पिकाओं के टेल तक पानी समय से पहुंचे।
2. नलकूप निरन्तर क्रियाशील रहें।
3. निजी नलकूपों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध रहे।

अतः आपसे अपेक्षित है कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि नहरों की सफाई समय से पूर्व हो जाय, रोस्टर के अनुसार पानी उपलब्ध हो तथा नलकूपों को समय से ठीक करा लिया जाय।

58. खरीफ-22 के लिये महत्वपूर्ण लक्ष्य निम्नवत् होंगे:-

(i) धान का उत्पादन 17.04 लाख मीट्रिक टन बढ़ाया जाना है परन्तु क्षेत्र आच्छादन में कोई वृद्धि नहीं की जानी है।

(ii) बाजरे का क्षेत्र आच्छादन 76000 हे0 तथा उत्पादन 5.55 लाख मीट्रिक टन बढ़ाया जाना है।

(iii) मक्का का क्षेत्र आच्छादन में 100000 हे0 तथा उत्पादन में 6.93 लाख मीट्रिक टन वृद्धि की जानी है।

(iv) कोर्स सीरियल के क्षेत्र आच्छादन में 7000 हे0 एवं उत्पादन में 11000 मीट्रिक टन की वृद्धि की जानी है।

(v) दलहन के क्षेत्र आच्छादन में 300000 हे0 तथा उत्पादन में 4.08 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि की जानी है।

(vi) तिलहनी फसलों के क्षेत्र आच्छादन में 1.6 लाख हे0 एवं उत्पादन में 1.8 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि की जानी है।

यानि कि क्षेत्र आच्छादन में कुल 6.43 लाख हे0 की वृद्धि की जानी है एवं उत्पादन में लगभग 35 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोत्तरी लक्षित है।

59. उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति निम्नवत होगी:-

(i) समतल भूमि आधी खेती है-खेत का समतलीकरण न सिर्फ उत्पादन लागत 7 प्रतिशत कम करता है, बल्कि सिंचाई के पानी एवं उर्वरक की उपयोग क्षमता में भी वृद्धि करता है। उक्त सोच के अन्तर्गत फार्म मेक्नाईजेशन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लेज़र लैण्ड लेवलर कृषकों को अधिक से अधिक संख्या में उपलब्ध कराए जायेंगे।

(ii) दलहनी एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्र आच्छादन को बढ़ाने के लिए धान के अन्तर्गत लगभग 70000 हे0 क्षेत्र को दलहनी एवं तिलहनी फसलों से अच्छादित किया जाएगा। दलहनी एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्र अच्छादन व उत्पादन बढ़ाने के लिए बुन्देलखण्ड के जनपदों को केन्द्र बिन्दु बनाते हुए कार्य किया जाएगा। नये क्षेत्र लगभग 300000 हे0 को रिक्लेम करते हुए कृषि के अन्तर्गत लाया जाएगा।

(iii) लगभग 300000 हे0 क्षेत्र में जो खरीफ में फैलो रहता है यानि कि जिस पर खेती नहीं होती है उस पर फसल आच्छादन करते हुए फसल सघनता को बढ़ाया जाएगा। वर्तमान फसल सघनता 162.41 प्रतिशत को बढ़ाकर 170 प्रतिशत किया जाएगा।

(iv) सीड रिप्लेसमेंट रेट के लिए विगत वर्ष 11.46 लाख मीट्रिक टन उन्नत बीज का वितरण किया गया था वह इस वर्ष 11.63 लाख मीट्रिक टन किया जाएगा।

(v) विगत खरीफ की तुलना में लगभग 22 प्रतिशत अतिरिक्त उर्वरक कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

(vi) बायो फर्टिलाईजर के 614000 पैकेट वितरित किये जायेंगे।

http://sfcsamadesh.up.gov.in

(vii) क्रॉप लोन विगत वर्ष 45048.38 करोड़ वितरित किया गया था जिसके सापेक्ष इस वर्ष 63005.71 करोड़ क्रॉप लोन वितरित किया जाएगा। इसमें 17957.33 करोड़ यानि कि 39.86 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी लक्षित है।

(viii) वर्तमान में 1.91 करोड़ कृषकों के पास किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हैं। शेष 6400000 कृषकों को भी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

(ix) कीटनाशक विगत खरीफ में 8870.53 मीट्रिक टन और किलो लीटर उपलब्ध कराया गया था। जिसके सापेक्ष इस वर्ष 9740 मीट्रिक टन और किलो लीटर जो 9.1 प्रतिशत अधिक है उपलब्ध कराया जाएगा।

(x) कुल 15000 कृषकों को सोलर पम्प उपलब्ध कराया जाएगा।

(xi) प्रत्येक फसल के सम्बन्ध में प्रगतिशील कृषकों एवं सम्बन्धित अधिकारियों के दल को उन प्रदेशों में प्रशिक्षण/भ्रमण पर ले जाने की व्यवस्था की जाएगी जहाँ सर्वाधिक उत्पादकता प्राप्त की गई है।

(xii) सिंचाई में वाटर यूज़ इफीशिएन्शी बढ़ाने के लिए नई तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा।

(xiii) उर्वरक एवं पेस्टिसाइड आदि की यूज़ इफीशिएन्शी को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकी व उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रचलन बढ़ाया जाएगा।

(xiv) फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्षेत्र विशेष पर जोर देते हुए क्लस्टर एप्रोच पर कार्य किया जाएगा।

(xv) फसल प्रणाली केन्द्रित हस्तक्षेप को बढ़ाया जाएगा।

(xvi) मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए ढैंचा का प्रयोग एवं समुचित क्रॉप रेजिड्यु मैनेजमेंट के लिए आवश्यक कृषि उपकरण व बायोएजेन्ट्स को पर्याप्त संख्या व मात्रा में कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

(xvii) कृषि कार्यों में ड्रोन आधारित तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा।

60. कार्यान्वयन एवं अनुश्रवणः-

खरीफ-2022 में मुख्य फसलों-धान, मक्का, उर्द, मूंगफली एवं तिल के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन व उत्पादकता विषयक लक्ष्य विभाग के ग्राम स्तरीय अधिकारियों से लेकर वरिष्ठतम अधिकारियों के बीच निर्धारित करते हुए कृषि निदेशालय द्वारा समुचित निर्देश निर्गत किये जाएंगे। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियमित समीक्षा की जाएगी तथा प्रत्येक कर्मी व अधिकारी के वार्षिक कार्य के अप्रैजल में इन लक्ष्यों के प्राप्ति को अंकित/उल्लिखित किया जाएगा। प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी कृषि निवेशों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए समस्याओं का निराकरण अपने स्तर पर करेंगे।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कुशल निर्देशन में कृषि उत्पादन एवं इससे सम्बन्धित सेक्टर्स में निर्धारित 5.07 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हेतु अपना सक्रिय योगदान देकर खरीफ 2022 को पूर्णत: सफल बनाएगें।

<u>संलग्नक</u>: यथोक्त ।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

http://sriasamadesh.up.gov.in

संख्या: 43/2022/785(1)/12-2-2022-67/2004, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/आयुक्त, ग्रामीण अवस्थापना विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
3. परियोजना समन्वयक, उ0प्र0कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ।
4. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कुलपति, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद ।
6- कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर एवं कुमारगंज, फैजाबाद ।
7- कुलपति,सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ।
8. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
9- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ।
10- निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रेहमानखेड़ा, लखनऊ।
11. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
16. निदेशक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड0कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
19. मुख्य अभियन्ता, नलकूप, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
20. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
21. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
22- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, उ0प्र0, लखनऊ।
23. प्रबन्ध निदेशक, भूमि सुधार निगम, भू-मित्र भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
24. मुख्य अभियन्ता, यू0पी0 पावर प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
25. महा निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
26. प्रबंन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
27. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
28. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
29. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भदरूख, रायबरेली रोड, लखनऊ।
30. निदेशक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कल्याणपुर, कानपुर।
31. निदेशक, केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण, छलेसर, आगरा।
32. निदेशक, केन्द्रीय औषधि एवं सगन्ध पौध अनुसंधान संस्थान।
33. निदेशक, कृषि विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
34. निदेशक, राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
35. निदेशक,गन्ना विकास निदेशालय, सीजीओ काम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ।
36. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, रामपुर एवं मथुरा।
37. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
38. प्रबंध निदेशक, यू0पी को-आपरेटिव फेडेरेशन लि0, लखनऊ।

http://krisanmandi.up.gov.in

39. प्रबंध निदेशक, यू0पी0 को-आपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
40. कृषि निदेशालय के समस्त नियंत्रक अधिकारी/अपर कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक।
41. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, लखनऊ।
42. प्रशासक, शारदा सहायक/रामगंगा समादेश क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
43. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
44. समस्त संयुक्त आयुक्त एवं निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश।
45. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
46. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in